वैश्विक वित्तीय संस्थाएँ

- प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत सम्पूर्ण विश्व को मंदी का सामना करना पड़ा जिससे सबक लेकर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद उदारवादी नई आर्थिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के गठन की आवश्यकता महसूस हुई। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को नियंत्रित करके वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, श्रम के प्रवाह को अबाध रूप से संचालन किया जा सकें। इसके लिए 1944 ई. में जॉन मेनार्ड कीन्स की अध्यक्षता में ब्रेटनवुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 40 से अधिक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के लिए समझौता किया गया जिसे ब्रेटनवुड्स समझौता कहा गया। इस सम्मेलन में तीन संस्थाओं के निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा गया–

♦ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

♦ अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक (IBRD)

♦ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (WTO)

- WTO के निर्माण पर आम सहमति न होने से उस समय WTO का निर्माण नहीं हो सका। उसके स्थान पर 1947 ई. में GATT (प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता) का निर्माण पश्चिमी देशों के द्वारा किया गया जो सोवियत संघ के विघटन के बाद WTO के रूप में परिवर्तित हो गया। तब से लेकर 2018 तक विश्व बैंक, गैट, आईएमएफ और वैश्विक करेंसी अमेरिकी डॉलर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विकसित देशों के प्रभूत्व को सुनिश्चित करने का काम किया जिसे **ब्रेटनवुड व्यवस्था** कहा गया। इस समय स्थापित प्रमुख वित्तीय संस्थाओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

❖ विश्व बैंक :

- यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है।वर्ष 1944 ई. में ब्रेटनवुड सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक की स्थापना की गई। विश्व बैंक एकल इकाई न होकर 5 संगठनों का सम्मिलित रूप है जिसमें मुख्यतयाः IBRD व IDA है। इसके अतिरिक्त तीन अन्य संगठन अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), बहुपक्षीय विनियोग गारण्टी संस्था (MIGA), इन्टरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसप्यूट (ICSID) आदि भी इसका भाग है। आईएमएफ और विश्व बैंक को सम्मिलित रूप से ब्रेटनवुड ट्विन्स कहा जाता है जिनका गठन ब्रेटनवुड सम्मेलन के तहत किया गया।

- विश्व बैंक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में विकासशील देशों को विश्व अर्थव्यवस्था से समग्र रूप से एकीकृत करने तथा आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देकर गरीबी कम करने के उद्देश्य से कार्य करता है। **इसके सदस्य देश – 189** देश है तथा **मुख्यालय – वाशिंगठन डी.सी.** (संयुक्त राज्य अमेरिका) में स्थित है।

❖ **विश्व बैंक समूह संगठन-** विश्व बैंक समूह में पाँच संस्थाएँ है जो निम्न है।

(i) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)

(ii) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (International Development Association : IDA)

(iii) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International Finance Corporation : IFC)

(iv) बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (Multilateral Investment Gaurantee Agency : MIGA)

(v) अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केन्द्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes : ICSID)

1. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) :

- इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। ब्रेटनवुड्स सम्मेलन द्वारा स्थापित यह संस्था विकासशील देशों को गरीबी घटाने व उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाली परियोजनाओं के लिए उचित शर्तों पर ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का कार्य करती है।
- इसके द्वारा निजी निवेश ऋणों को प्रोत्साहन देने का कार्य बैंक गारण्टी या भागीदारी के माध्यम से किया जाता है तथा विकास परियोजनाओं के लिए वित्त एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

♦ **उद्देश्य :**

- वैश्विक अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना।
- मानव संसाधन विकास व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
- विकासात्मक गतिविधियों–भौतिक व सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

  खाद्य सुरक्षा व गरीबी उन्मूलन करना।

2. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) :

- इसकी स्थापना – 24 सितम्बर, 1960 में हुई तथा वर्तमान में इसके सदस्य देश – 173 है। यह संघ संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण के रूप में कार्य करता है।
- इसके द्वारा वित्तीय व आर्थिक विकास हेतु अल्प विकसित देशों को आसान शर्तों पर विकास वित्त की व्यवस्था की जाती है।
- इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण प्रदान करने वाली खिड़की या उदार ऋण शाखा भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा विश्व के गरीबी राष्ट्रों को बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया जाता है तथा न्यूनतम ब्याज दर पर विकास हेतु अनुदान व दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।
- यह विश्व के सबसे गरीब देशों की सहायता का सबसे बड़ा स्त्रोत है।
- इसके द्वारा ऋण संकट का सामना कर रहे देशों को रियायती ऋणों के अलावा अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

❖ **कार्य :**

- सदस्य देशों को भौतिक व सामाजिक ढांचें के आधारभूत विकास के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- अल्पविकसित व विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण व तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना।
- विश्व में गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
- विश्व में असमानताओं को दूर करना व समानता पर बल देना।

3. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) :

- इसकी स्थापना – 1956 ई. में की गई। यह संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण है। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। वर्तमान में सदस्य संख्या 184 है। विश्व बैंक की निवेश संस्था के रूप में सदस्य देशों की निजी संस्थाओं एवं कम्पनियों को आर्थिक विकास हेतु ऋण की व्यवस्था करता है। इसके द्वारा निजी क्षेत्र को औद्योगिक वित्त प्रदान किया जाता है। यह मुख्य रूप से विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के संवर्धन व सशक्तिकरण पर बल देता है जिसमें निवेश, तकनीकी दक्षता व परामर्श आदि शामिल है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों में उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके द्वारा विकासशील देशों के निजी उद्यमों को निजी निवेशकों के सहयोग एवं सरकारी गारण्टी के बिना जोखिम पूंजी की उपलब्धता करवायी जाती है। इसके द्वारा सरकार के बजाय निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान किया जाता है।
- इसकी गतिविधियों के 5 प्रमुख क्षेत्र–निवेश, संवर्द्धन, पूंजी बाजार कार्यक्रम, तकनीकी सहायता तथा संघ संघटन आदि है। इसके द्वारा दिए जाने वाले ऋण का अधिकांश हिस्सा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त बाजारों में बॉण्ड के माध्यम से एकत्र किया जाता है।
- 2014 में इस निगम द्वारा भारतीय कम्पनियों को वित्तीय सहायता हेतु वैश्विक उधार बाजार में मसाला व रूपी बॉण्ड जारी किए। यह भारत में एफपीआई का सबसे ज्यादा योगदान है।
- इस निगम द्वारा भारत के ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण हेतु ग्रामीण आजीविका परियोजनाओं, प्राथमिक शिक्षा का सामान्यीकरण, कृषि क्षेत्र में हरित व श्वेत क्रांति जैसे क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जाती है।

4. अन्तर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केन्द्र (ICSID) :

- इस केन्द्र की स्थापना – 1966 ई. में हुई। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। इसके कुल सदस्य 163 है। इस संस्था के माध्यम से विदेशी निवेशकों व सरकारों के मध्य निवेश सम्बन्धी विवादों के समाधान की सुविधा प्रदान कर अन्तर्राष्ट्रीय निवेश के प्रवाह को बढ़ावा दिया जाता है।
- इसके द्वारा विभिन्न शोधों के संचालन व प्रकाशन का कार्य भी किया जाता है। साथ ही विदेशी निवेश कानून पर परामर्श प्रदान की जाती है। इसके निर्णय बाध्यकारी होते है।

5. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) :

- इस एजेंसी की स्थापना – 1988 ई. में हुई। भारत सहित कुल 181 देश इसके सदस्य है। इस संस्था द्वारा निवेश पर बीमा व सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसके द्वारा गृह युद्ध से प्रभावित, गरीब तथा निवेश की गारण्टी व राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशकों व कम्पनियों को बीमा सुविधा प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य अल्पविकसित देशों के आर्थिक संवृद्धि व विकास के प्रयास करना तथा उनके निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

❖ कार्य :

- इसके द्वारा गैर व्यापारिक अवरोधों तथा राजनीतिक जोखिमों से होने वाली हानियों के लिए निजी क्षेत्रक के विदेशी निवेशकों को बीमा प्रदान करना तथा घाटे को कम करने का कार्य किया जाता है जिससे व्यापार को समतापूर्ण बनाया जा सके। अन्य देशों के निजी क्षेत्रक में निवेशकर्ता व ऋण प्रदाताओं के ऋण वृद्धि की गारंटी प्रदान की जाती है।

❖ विश्व बैंक के लक्ष्य:

- गरीबी को खत्म करना।
- साझा समृद्धि को प्रोत्साहन देना।
- सतत् विकास को बढ़ावा देना।

❖ विश्व बैंक के उद्देश्य :

- विश्व में विकास एवं पुनर्निर्माण का कार्य करना।
- अल्पविकसित व विकासशील राष्ट्रों को वित्त व तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना।
- सदस्य देशों में गरीबी को कम करना।
- सदस्य देशों के निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा उठाना। स्वास्थ्य सुधार, सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
- विश्व में शांति की स्थापना करना तथा विश्व अर्थव्यवस्था में समृद्धि लाना।
- विश्व में सुशासन की स्थापना की दिशा में कार्य करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना।
- वैश्विक स्तर पर वित्तीय समानता सुनिश्चित करना।

❖ विश्व बैंक के कार्य :

1. सदस्य राष्ट्रों विशेषत: अल्प विकसित देशों को भौतिक व सामाजिक अवसंरचना विकास (5-20 वर्षों) हेतु आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराना है। विश्व बैंक द्वारा ऋण सामान्यत: दीर्घकालीन अवधि की परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिए जाते है।

2. पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु ऋण प्रदान करने के अलावा यह सदस्य देशों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध करवाता है।
3. वैश्विक स्तर पर मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना।
4. विभिन्न रिपोर्ट्स द्वारा वैश्विक आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन व आंकलन करना।
5. विश्व बैंक अपने सदस्य देशों को नीतिगत सुधारों तथा विकासात्मक परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है।
6. संबंधित देशों को आधारभूत संरचना विकास, अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण संबंधित में सहायता उपलब्ध करवाता है।

❖ विश्व बैंक की सदस्यता :

- विश्व बैंक की सदस्यता के लिए कोई अलग से विशेष प्रावधान नहीं है। जो देश IMF के सदस्य होते है, वे स्वतः ही विश्व बैंक की सदस्यता प्राप्त कर लेते है। विश्व बैंक की पूंजी में सदस्य देशों के अंश के अनुसार ही मताधिकार प्रदान किया जाता है।

❖ संरचना :

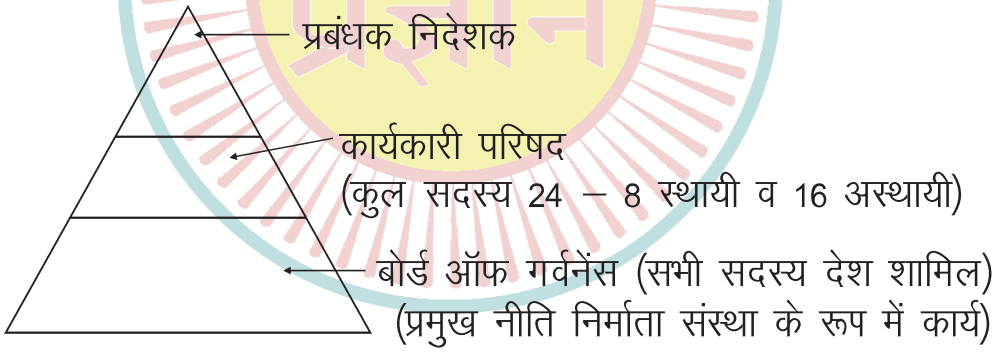

❖ भारत के विकास में विश्व बैंक की भूमिका :

- भारत में विश्व बैंक की लगभग 23 बिलियन की सहायातित विकास योजनाएं संचालित है जैसे– मलेरिया उन्मूलन, सर्वशिक्षा अभियान, ई–गवर्नेंस, रोड कनेक्टिविटी, ग्रामीण अवसंरचना निर्माण आदि।
- विश्व बैंक भारत में राज्यों व एनजीओ के साथ मिलकर विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दे रहा है।
- 1960 के सिंधु जल समझौते में इसके द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाई गई।
- भारत की संवृद्धि दर बनाए रखने, आधारभूत संरचना के साथ–साथ मानवीय संसाधनों के विकास के साथ–साथ गरीबी, बेरोजगारी उन्मूलन, कौशल विकास, अवसंरचना विकास, पर्यावरण हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- कोरोना काल में भारत के टीकाकरण अभियान को विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण किया गया।

❖ विश्व बैंक और भारत :

- भारत ब्रेटनवुड समझौते का हस्ताक्षरकर्त्ता देश व विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य रहा जो विश्व बैंक का सबसे बड़ा लाभ प्राप्तकर्त्ता देश है।
- विश्व बैंक व भारत में 7 दशक पुरानी व मजबूत साझेदारी पायी जाती है।
- विश्व बैंक द्वारा भारत में कई आधारभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है जैसे– संचार, शिक्षा, परिवहन, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन आदि।
- भारत को कम लागत पर दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करने में विश्व बैंक की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- विश्व बैंक ने भारत को शिक्षा के सार्वभौमिकरण, ग्रामीण आजीविका, हरित क्रांति, पोलियो, टीबी, एड्स आदि से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

❖ विश्व बैंक द्वारा भारत व राजस्थान में संचालित योजनाएँ :

विश्व बैंक द्वारा भारत व राजस्थान में संचालित परियोजनाएँ

भारत	राजस्थान
(1) अटल भू–जल योजना (जल संरक्षण)	(1) राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना
(2) स्किल इण्डिया, मिशन (कौशल विकास)	(2) राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना
(3) संकल्प/स्ट्राइव योजना (कौशल विकास)	(3) राजस्थान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन योजना
(4) स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छता)	(4) बांध पुर्नवास व सुधार योजना
(5) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना (स्वच्छता)	
(6) नमामि गंगे योजना (स्वच्छता)	
(7) पीएम ग्राम सड़क योजना (अवसंरचना विकास)	
(8) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (रोजगार)	
(9) समन्वित बाल विकास कार्यक्रम (बुनियादी सेवाएं)	
(10) सर्व शिक्षा अभियान (बुनियादी सेवाएं)	
(11) पूर्वी समर्पित फ्रेंट कॉरिडोर (अवसंरचना)	
(12) राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण)	
(13) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (स्वास्थ्य)	
(14) नई मंजिल योजना (रोजगार कौशल विकास)	

❖ विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट :

- **वैश्विक आर्थिक परिदृश्य विवरण** – इसके माध्यम से वैश्विक आर्थिक विकास व परिदृश्य का मूल्यांकन किया जाता है। यह अर्द्धवार्षिक रूप से जनवरी व जून में जारी की जाती है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाती है।
- भारत विकास रिपोर्ट।

- **विश्व विकास रिपोर्ट** – विश्व बैंक द्वारा 1978 ई. से वार्षिक प्रकाशन किया जाता है जिसमें आर्थिक विकास के विशिष्ट पहलूओं का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है।
- वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट।
- वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट।
- व्यापार सुगमता रिपोर्ट (इज ऑफ डूंइग बिजनेस) – वार्षिक रूप से प्रकाशित इस रिपोर्ट में 10 परिमाणात्मक मानकों के आधार पर किसी देश में व्यापारिक गतिविधियों के नियमन का अध्ययन किया जाता है।
- वैश्विक वित्तीय सूचकांक डेटाबेस–वित्तीय समावेशन संबंधित आंकड़ों का व्यापक समूह है जिसे 2011 से प्रत्येक तीन वर्ष में प्रकाशन किया जाता है।
- निर्धनता और साझा समृद्धि विवरण (द्विवार्षिक प्रकाशन)– इसमें वैश्विक स्तर पर निर्धनता व साझा समृद्धि की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन व प्रदर्शन किया जाता है।
- परिवर्तनकारी कार्बन सम्पत्ति सुविधा (2015 से जारी पेरिस जलवायु समझौते पर आधारित कार्बन बाजार व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता)

❖ विश्व बैंक की आलोचनाएँ/सीमाएँ :

- यह विकसित राष्ट्रों के नियंत्रणाधीन है जिससे निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिकरण व पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है।
- विश्व बैंक विकास के बाजार प्रेरित मॉडल पर विश्वास करता है अर्थात् राज्य के आर्थिक क्रियाओं में न्यूनतम हस्तक्षेप पर बल देता है। इसके द्वारा मूलभूत सेवाओं के निजीकरण की माँग की जाती है।
- विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था सशर्त होती है जोकि पश्चिमी देशों के एजेण्डे से प्रभावित होती है।
- विश्व बैंक की संस्था IBRD द्वारा सदस्य देशों को अधिकांश ऋण उच्च ब्याज दरों पर उपलब्ध करवाया जाता है जोकि बाजार दरों के अनुरूप होता है।
- विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विश्व बैंक द्वारा क्षेत्रीय रणनीतियों पर ध्यान न देने के कारण नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- विश्व बैंक पर आरोप है कि वह अमेरिकी हितों के साधन के रूप में कार्य कर रहा है।
- कठोर शर्तो के आधार पर कम पूंजी उपलब्धता करवाता।
- अब तक सभी अध्यक्ष अमेरिकी नागरिक होना।
- विकसित देशों की आर्थिक कूटनीति का हथियार है।
- विश्व बैंक द्वारा कभी–कभी ऐसी परियोजनाओं में निवेश जो पर्यावरणीय व सांमजिक रूप से नकारात्मक प्रभाव डालती है।

- इस प्रकार विश्व बैंक में अनेक आलोचनाओं/कमियाँ पाई जाती है अतः उसे इन्हें ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों को पारदर्शी, समावेशी, लोकतांत्रिक तथा अल्पविकसित देशों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। ऐसा करने से विश्व बैंक वैश्विक वित्तीय संस्था के रूप में वित्तीय समानता को स्थापित कर सकेगा। इस हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैः–
- विश्व बैंक द्वारा संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम में सुधार करना क्योंकि ये पूंजीवाद का समर्थन करती है।
- विश्व बैंक को स्वयं में संरचनात्मक व कार्यात्मक सुधार कर लोकतांत्रिकरण को बढ़ावा दिया जाएं।
- अन्य देशों से भी विश्व बैंक में अध्यक्ष नियुक्त किए जाने चाहिए।
- भारत एवं अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।
- इसकी ऋण वितरण व्यवस्था में अधिक लचीलापन हो।
- प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील परियोजनाओं पर निवेश न किया जाएं अर्थात् पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को ही वित्त पोषित किया जाएं।

***